भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2928

बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी प्रत्यक्ष नीति (एफडीआई)

2928. श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मल्टी-ब्रांड रिटेल व्यापार की अनुमति हेतु मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में वर्तमान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और देश-वार कितनी विदेशी कंपनियों ने मल्टी-ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने के लिए आवेदन/पंजीकरण किया है;

(ग) क्या सरकार देश में मल्टी-ब्रांड रिटेल क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष नीति (एफडीआई) बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रिटेल मार्किट में एफडीआई के प्रभाव और इससे संबंधित कर्मचारियों पर कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के तहत] देश में मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार शुरू करने के लिए मानदंडों का ब्यौरा **अनुबंध I** पर है।

(ख): भारत में यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी से मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई प्राप्त हुआ है। एफडीआई के राज्य/ संघ शासित प्रदेश-वार आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ): जी, नहीं। खुदरा बाजार एफडीआई सहित कई कारकों से प्रभावित है। तथापि, कुल मिलाकर एफडीआई निजी व्यावसायिक निर्णयों से संबंधित मामला है। एफडीआई अंतर्वाह प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बाजार का आकार, अवसंरचना, सामान्य निवेश माहौल के साथ-साथ दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

*****

अनुबंध-।

दिनांक 10.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2928 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार संबंधी एफडीआई नीति

क्षेत्र / क्रियाकलाप	**इक्विटी का % / एफडीआई सीमा**	**प्रवेश का माध्यम**
मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार	51%	सरकारी

(1) मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार में एफडीआई की, सभी उत्पादों में, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, अनुमति होगी:

(i) फल, सब्जियों, फूलों, अनाज, दालों, ताजा पोल्ट्री, मछली तथा मांस उत्पादों समेत ताजा कृषि उत्पाद बिना ब्राण्ड के हो सकते हैं।

(ii) किसी विदेशी निवेशक द्वारा एफडीआई के रूप में लाई जाने वाली न्यूनतम राशि 100 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी ।

(iii) 100 मिलियन डॉलर के कुल निवेशित एफडीआई की पहली किस्त का का कम से कम 50 प्रतिशत भाग तीन वर्ष के भीतर 'बैकएन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में निवेशित किया जाएगा, जहां 'बैकएन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में सभी क्रियाकलापों संबंधी पूंजीगत व्यय शामिल होगा, इसमें फ्रंटएन्ड इकाइयां शामिल नहीं हैं, उदाहरण के लिए, बैकएन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन सुधार, गुणवता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, भण्डारण, मालगोदाम, कृषि बाजार उत्पाद अवसंरचना आदि के लिए निवेश शामिल होगा। भूमि लागत तथा किराए आदि पर हुए व्यय, यदि कोई हो तो, की बैकएण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजनार्थ गणना नहीं की जाएगी। एमबीआरटी खुदरा व्यापारी द्वारा अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर बैकएंड इन्फ्रास्ट्रक्चर में अनुवर्ती निवेश किया जाएगा।

(iv) विनिर्मित/प्रसंस्कृत खरीदे गए उत्पादों की अधिप्राप्ति, मूल्य के कम से कम 30%की खरीद भारतीय 'लघु मध्यम और छोटे उद्योगों', जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश 2.00 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं हो, से किया जाएगा। यह मूल्यांकन संस्थापन के समय मूल्य को बताता है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं है। खुदरा व्यापारी से पहली बार सम्बद्ध होने के समय से 'लघु उद्योग' का दर्जा माना जाएगा, और उक्त खुदरा व्यापारी के साथ सम्बद्ध होने के दौरान निवेश के 2.00 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक होने के बावजूद ऐसा उद्योग इस प्रयोजन के लिए 'लघु उद्योग' का पात्र बना रहेगा। इस श्रेणी में कृषि सहकारी समितियों और किसान सहकारी समितियों से खरीद पर भी विचार किया जाएगा। इस अधिप्राप्ति अपेक्षा को, पहली बार उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू करके जिसके दौरान एफडीआई प्रथम खेप प्राप्त होती हे, खरीदे गए विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों के पांच वर्ष के कुल मूल्य के औसत के रूप में पूरा करना होगा । तत्पश्चात इसे वार्षिक आधार पर पूरा करना होगा।

(v) उपर्युक्त क्रम संख्या (ii), (iii) तथा (iv) में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लिए कंपनी द्वारा स्वयं-प्रमाणन करना जिसकी अपेक्षानुसार क्रॉस चैक (दुतरफा पड़ताल) की जा सकती है। तदनुसार, निवेशक सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित लेखे रखेंगे ।

(vi) 2011 की जनगणना के अनुसार, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अथवा संबंधित राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार अन्य शहरों में खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना की जाए तथा ऐसे शहरों में नगरपालिका/शहरी संकुल सीमाओं के चारों तरफ 10 कि.मी. के क्षेत्र भी शामिल होने चाहिए, खुदरा केंद्रों को संबंधित शहरों की मास्टर/जोनल योजनाओं के अनुरूप क्षेत्रों तक सीमित रखा जायेगा तथा परिवहन संपर्क सुविधा और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे।

(vii) कृषि उत्पादों की अधिप्राप्ति का प्रथम अधिकार सरकार का होगा ।

(viii) उपर्युक्त नीति केवल समर्थकारी नीति है तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र नीति कार्यान्वयन के संबंध में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं । इसलिए, खुदरा बिक्री केंद्रों की उन राज्यों/संघीय क्षेत्रों में स्थापना की जानी चाहिए जो इस नीति के अंतर्गत एमबीआरटी में एफडीआई की अनुमति हेतु सहमत हो गए हैं अथवा भविष्य में सहमत होंगे। अपनी सहमति देने वाले राज्यों/संघीय क्षेत्रों की सूची नीचे (2) पर दी है। इस नीति के अंतर्गत खुदरा केंद्र स्थापित करने की अनुमति देने के लिए ऐसे करार भविष्य में, भारत सरकार को औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के माध्यम से सम्प्रेषित किए जायेंगे तथा तदनुसार नीचे (2) पर दी गई सूची में जोड़ दिए जाएंगे। खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू कानूनों/विनियमों, जैसे कि दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम आदि, के अनुरूप होगी।

(ix) मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार के कार्य में लगी एफडीआई वाली कंपनियों को किसी रूप में, ई-कामर्स के माध्यम से, खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं होगी ।

(2) पैराग्राफ 5.2.15.4 (1) (viii) में उल्लिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है :-

1. आंध्रप्रदेश
2. असम
3. दिल्ली
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू-कश्मीर
7. कर्नाटक
8. महाराष्ट्र
9. मणिपुर
10. राजस्थान
11. उत्तराखंड
12. दमन एवं दीव और दादर तथा नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)

*****